उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या– 75/2023/781/छप्पन-2023-31/2016(Stage-2)

लखनऊ; दिनांक: 18 जुलाई, 2023

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार का यह समाधान हो गया है कि नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से लोक प्रयोजन अर्थात् नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण हेतु जिला-गौतमबुद्धनगर, तहसील जेवर, परगना जेवर के ग्राम रन्हैरा में कुल 1.5940 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2- सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी के रूप में गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, जिला गौतमबुद्धनगर द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार को अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत कर दी हैं, जिसने उसकी अनुशंसाओं को पत्र संख्या-106/2021/2466/छप्पन-2021-31/2016(स्टेज-2) दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 द्वारा अनुमोदित कर दिया है।

3- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश निम्नानुसार हैः-

नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) की परियोजना के विकास हेतु कुल 1365 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। भूमि इष्टतमीकरण (Land Optimization) पर आधारित तकनीकी समिति ने न्यूनतम भूमि आवश्यकता के रूप में 1365 हैक्टेयर भूमि (सरकारी भूमि को सम्मिलित करते हुए) निर्धारित किया है। प्रस्तावित स्थल पर विस्थापन को कम करने हेतु कोई आनुकल्पिक विकल्प उपलब्ध नहीं है। विस्थापित परिवारों को सड़क, पानी, विद्युत, मल-नाली, पार्क, सामुदायिक भवन, विद्यालय, चिकित्सालयों जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप मन्दिर/मस्जिद इत्यादि जैसे धार्मिक स्थलों को भी उपलब्ध कराना होगा, जैसा कि सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में निर्धारित किया गया है।

4- उक्त भूमि अर्जन के कारण कुल 02 परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना है।

ऐसे विस्थापन का अपरिहार्य कारण यह है कि नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण हेतु 1365 हैक्टेयर भूमि अति न्यूनतम (absolute bare minimum) रूप में अपेक्षित है तथा विस्थापन को कम करने हेतु कोई अन्य आनुकल्पिक विकल्प उपलब्ध नहीं है।

5- प्रश्नगत परियोजना के विकास हेतु अपेक्षित 1365 हैक्टेयर भूमि में से निजी 1181.2793 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 के अधीन पूर्व में अधिसूचना संख्या 84/2022/1701/छप्पन-2022-31/2016(स्टेज-2) दिनांक 18 नवम्बर, 2022 जारी की गई। उक्त अधिसूचना में, राजस्व ग्राम रन्हेरा की गाटा संख्या 222/1, 222/2, 1012/1, 1012/2 एवं 1012/3 के स्थान पर गलत भूखण्ड संख्या 221/1, 221/2, 1212/1, 1212/2 एवं 1212/3 प्रकाशित हो गए थे। उक्त अधिनियम की धारा 11 की

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त अधिसूचना में प्रकाशित गलत गाटा संख्याओं को पृथक् करते हुए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19(1) के अधीन अधिसूचना संख्या 53/2023/282/छप्पन-2023-31/2016(स्टेज-2) दिनांक 18 अप्रैल, 2023 जारी की गई। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 18 नवम्बर, 2022 में गलत प्रकाशित भूखण्ड संख्या 221/1, 221/2, 1212/1, 1212/2 एवं 1212/3 के स्थान पर अब सही भूखण्ड संख्याएं 222/1, 222/2, 1012/1, 1012/2 एवं 1012/3, जिनका कुल क्षेत्रफल 1.5940 हैक्टेयर है, को इस अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है।

6- उत्तर प्रदेश शासन ने अधिसूचना संख्या 414/एक-13-2014-7क(8)/2014 दिनाँक 06 अगस्त, 2014 के माध्यम से यह उपबन्धित किया है कि सम्बन्धित तहसील के यथास्थिति सहायक कलैक्टर या डिप्टी कलैक्टर को, अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर प्रभावित परिवारों का पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। प्रश्नगत परियोजना के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 के अधीन अधिसूचना संख्या 84/2022/1701/छप्पन-2022-31/2016(स्टेज-2) दिनांक 18 नवम्बर, 2022 जारी की गई। डिप्टी कलैक्टर, जेवर, जिला गौतमबुद्धनगर को परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया, जिसके द्वारा परियोजना के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार कर आयुक्त, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से अनुमोदित कराई जा चुकी है।

7- अतएव, राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करती हैं कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

जिला	**तहसील**	**परगना**	**ग्राम**	**भूखण्ड संख्या**	**अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
गौतमबुद्धनगर	जेवर	जेवर	**रन्हेरा**	222/1	0.5500
				222/2	0.5500
				1012/1	0.1390
				1012/2	0.2160
				1012/3	0.1390
				योग	**1.5940**

8- राज्यपाल कलैक्टर, जिला गौतमबुद्धनगर को, भूमि अर्जन के प्रयोजन हेतु भूमि सर्वेक्षण प्रारम्भ करने, उसे संचालित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने, किसी भूमि का समतलीकरण करने, अवमृदा की खुदाई करने अथवा उसका वेधन करने तथा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट समुचित कार्य निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य समस्त कार्य करने के लिए भी प्राधिकृत करती हैं।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन कोई व्यक्ति, जिसका हित प्रश्नगत भूमि में निहित हो, इस अधिसूचना के प्रकाशित किए जाने के पश्चात् 60 दिन की अवधि के भीतर परिक्षेत्र में भूमि अर्जन के लिए लिखित रूप में कलैक्टर, जिला गौतमबुद्धनगर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

10- पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से भूमि अर्जन की कार्यवाहियाँ पूर्ण किए जाने की अवधि तक, कलैक्टर, जिला गौतमबुद्धनगर के पूर्व अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कोई भूमि संव्यवहार अर्थात् विक्रय/क्रय नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

टिप्पणी:- ऐसे अर्जन हेतु ली गयी भूमि का स्थल नक्शा कलैक्टर, जिला गौतमबुद्धनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
एस0पी0 गोयल
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN

NAGRIK UDDAYAN ANUBHAG-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 75/2023/781/chhappan-2023-31/2016(Stage-2), dated 18 July, 2023.

NOTIFICATION

NO. 75/2023/781/chhappan-2023-31/2016(Stage-2),

LUCKNOW; DATED: 18 July, 2023

Under sub-section (1) of section 11 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Government of Uttar Pradesh is satisfied that a total of 1.5940 hectares of land is required in the village Ranhera, Pargana Jewar, Tehsil Jewar, District Gautambuddha Nagar for public purpose, namely, expansion of the Noida International Airport, Jewar through the Civil Aviation Department, Government of Uttar Pradesh.

2. Social Impact Assessment study was carried out by the Gautam Buddha University, District Gautambuddha Nagar as Social Impact Assessment agency and the University submitted its recommendations to the State Government, which has approved its recommendations vide Letter No. 106/2021/2466/chhappan-2021-31/2016(Stage-2) dated 22nd December, 2021.

3. The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows:-

A total land area of 1365 hectares is required for the expansion (Stage-2/ Phase-1) of Noida International Airport, Jewar. The technical committee based on land optimization has laid down 1365 hectares (including government land) as minimum land requirement. There are no other alternative options available on the proposed site to minimize the displacement. The displaced people have to be provided with basic amenities like Roads, Water, Electricity, Sewer, Park, Community Buildings, Schools, Hospitals along with religious places like Temples/Mosques etc., in accordance with their social and cultural background as laid down in the Social Impact Assessment report.

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. A total of 02 families are likely to be displaced due to said land acquisition.

The reason necessitating such displacement is that 1365 hectares of land which is required for the expansion of the Noida International Airport, Jewar is absolute bare minimum that is needed and no other alternative options are available to minimize the displacement.

5. Out of 1365 hectares of land required for the development of the project in question, Notification Number 84/2022/1701/Chhappan-2022-31/2016 (Stage-2) dated 18th November, 2022 issued earlier under Section-11 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 regarding 1181.2793 hectares of private land, in place of Gata Numbers 222/1, 222/2, 1012/1, 1012/2 and 1012/3 in the said notification of Revenue village Ranhera incorrect Plot numbers 221/1, 221/2, 1212/1, 1212/2 and 1212/3 were published. Notification Number 53/2023/282/Chhappan-2023-31/2016 (Stage-2) dated 18th April, 2023 issued under Section-19(1) of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 has been issued leaving the incorrectly published plot numbers in the said notification under Section-11 of the Act. In place of incorrectly published plot numbers 221/1, 221/2, 1212/1, 1212/2 and 1212/3 in the previously issued Notification Dated 18th November, 2022 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, now correct plot numbers 222/1, 222/2, 1012/1, 1012/2 and 1012/3 having total area 1.5940 hectares are being notified in this Notification.

6. The Government of Uttar Pradesh vide Notification No. 414/I-13-2014-7ka(8)/2014 dated 6th August, 2014 has provided that the Assistant Collector or Deputy Collector, as the case may be, of the concerned Tehsil shall be appointed Administrator for Rehabilitation and Resettlement of the affected families within the respective territorial jurisdiction thereof. For the project in question, Notification Number 84/2022/1701/Chhappan-2022-31/2016 (Stage-2) dated 18th November, 2022, was issued under Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. Deputy Collector, Jewar, District Gautambuddh Nagar was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families, by whom the Rehabilitation and Resettlement Scheme for the project has been prepared and same was approved by the Commissioner, Rehabilitation and Resettlement.

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose, namely, the expansion of the Noida International Airport, Jewar:-

SCHEDULE

DISTRICT	TEHSIL	PARGANA	VILLAGE	PLOT NO.	AREA TO BE ACQUIRED (IN HECT.)
1	2	3	4	5	6
Gautambuddha Nagar	Jewar	Jewar	Ranhera	222/1	0.5500
				222/2	0.5500
				1012/1	0.1390
				1012/2	0.2160
				1012/3	0.1390
				Total	**1.5940**

8. The Governor is also pleased to authorize Collector, District Gautambuddha Nagar, for the purpose of land acquisition, to take necessary steps to enter upon, conduct survey of land, take levels of any land, dig or bore into the sub-soil and do all other acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the aforesaid Act.

9. Under section 15 of the aforesaid Act, any person whose interest lies in the land in question may within a period of 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector, District Gautambuddha Nagar.

10. Under section 11(4) of the aforesaid Act, no person without prior approval of the Collector, District Gautambuddha Nagar shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in this notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of this notification in the gazette till such time as the proceedings of land acquisition are completed.

NOTE: A site plan of the land taken up for such acquisition can be seen in the office of the Collector, District Gautambuddha Nagar.

By Order,
S.P. Goyal
Additional Chief Secretary

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।